प्रेषक़,

प्रभु एन. सिह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः13/10/2022

विषयः- राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-03/2020- एन०डी०एम-I दिनाँक 10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक मदो एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 संलग्नकों सहित निम्न बेवलिंक पर उपलब्ध हैः-

(1)www.rahat.up.nic

(2)https://ndmindia.mha.gov.in/images/litems%20and%20Norms%20of%20assistance%20from%20SDRF%20and%20NDRF%20dtd%2010%20Oct%202022.pdf

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिह)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ को मा0 उपाध्यक्ष के अवगतार्थ।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. निदेशक, डी०एम-I, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
11. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार निदेशालय, लखनऊ।
13. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
15. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
16. राजस्व अनुभाग-10
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रभु एन. सिह)
सचिव।

Signed by प्रभु नारायण सिंह
Date: 13-10-2022 18:04:58
Reason: Approved

F.No.33-03/2020-NDM-I (Vol-II)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)
.....

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II,
Jai Singh Road, New Delhi.
Dated, the 10th October, 2022

To

(i) The Chief Secretaries of All States
(ii) The Relief Commissioners/Secretaries (DM) of all States.

Sub: Items and Norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) for the period 2022-23 to 2025-26 - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's letter no 33-03/2021-NDM-I dated 12.01.2022(https://ndmindia.mha.gov.in/images/gallery/Guidelines%20SDRF%20&%20NDRF.PDF) and to state that based on the recommendations of the Fifteenth Finance Commission (FFC) on financing of disaster risk management and the report of the Expert Committee set up by this Ministry, the Government of India has revised the items and norms for assistance from SDRF and NDRF. The FFC has recommended three sub-windows of (i) Response & Relief; (ii) Recovery & Reconstruction; and (iii) Preparedness & Capacity Building, within SDRF and NDRF. Accordingly, the items and norms of expenditure have been divided in these 3 sub-windows. The approved list of items and norms for assistance from SDRF and NDRF in the wake of notified natural disasters is annexed (English and Hindi), which will be effective from the financial year 2022-23.

2. The revised items and norms is also available on the website of Disaster Management Division of the Ministry of Home Affairs i.e. www.ndmindia.mha.gov.in.

3. This supersedes Ministry of Home Affairs earlier letters No.32-7/2014-NDM-I dated the 8th April, 2015; No. 33-4/2020-NDM-I dated 14.03.2020, 28.03.2020, 14.07.2020, 23.09.2020, 15.04.2021 & 25.09.2021; No. 33-08/2020-NDM-I dated 27.05.2020; and No.04-01/2018-NDM-I dated 01.12.2020, on the subject.

Yours faithfully,

10.10.22

(Pawan Kumar)
Director (DM-I)
Tel: 23438123
E-mail: mk.pawan65@gov.in

Encl: As above

Copy for information and necessary follow up action to:

1. Accountant General of all State Governments.
2. Comptroller & Auditor General, (CAG), New Delhi.
3. Controller & Auditor General, (CAG), New Delhi.
4. Resident Commissioners of State Governments

....2/-

Distribution:

1. Ministry of Finance, Department of Expenditure [Addl. Secretary (FCD)], North Block, New Delhi.
2. Ministry of Agriculture, Joint Secretary (DM), Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Member Secretary, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdurjung Bhawan, New Delhi.
4. All concerned Central Ministries/Departments/Organizations.
5. PMO/Cabinet Secretariat.
6. PS to HM/PS to MOS(N)
7. Sr. PPS to Home Secretary/Addl. Secretary (DM & FFR)/Joint Secretary (DM)/NIC.

10.10.22

(Pawan Kumar)
Director (DM-I)
Tel: 23438123
E-mail: mk.pawan65@gov.in

Annexure

REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER RESPONSE FUND (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)

(Period 2022-23 to 2025-26, MHA Letter No. 33-03/2020-NDM-I Dated 10.10.2022)

S.No.	Items	Norms of Assistance
A	**Response & Relief [40% of State Disaster Risk Management Fund (SDRMF) i.e. equal to 50% of SDRF allocation for the year]**	
1	**Gratuitous Relief**	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	Rs. 4.00 lakh per deceased person, including those involved in the relief operations or associated in preparedness activities, subject to the certification regarding cause of death from the appropriate authority.
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	Rs. 74,000/- per person, when the disability is between 40% and 60%. Rs. 2.50 lakh per person, when the disability is more than 60%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding the extent and cause of disability.
	c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 16,000/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 5400/- per person requiring hospitalization for less than a week. **Note**: Injured persons getting treatment under the 'Ayushman Bharat' Yojna, will not be eligible for relief under this item.
	d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families, whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than two days due to a natural calamity.	Rs. 2,500/- per family, for the loss of clothing. Rs.2,500/- per family, for loss of utensils/ household goods.
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	Gratuitous Relief (GR) for families, whose livelihood is seriously affected will be provided to two adults members of the affected family as per actual rate of MNREGA per day or average rate of all States/UTs per day, whichever is lower. For this purpose, notification issued by Ministry of Rural Development from time to time, is to be referred for calculating average rate. The relief amount should be disbursed

		through DBT/cash(In case of exigency of the situation only) or the State Government may provide this relief in kind. State Govt. will certify that identified beneficiaries are not housed in relief camps, during the period GR is provided. Further, the State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries, district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per the assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the SEC can extend the time period beyond the prescribed limit. Provided that expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year. Further, to ensure transparency, the list of persons to whom Gratuitous Relief is provided, should be uploaded on the website of the State Government. The State Government shall notify the basis and proof for the identification of beneficiaries in a transparent manner.
2.	**Search & Rescue Operations**	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected.	As per the actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). By the time the Central Team visits the affected area, these activities may be already over. Therefore, the SEC and the Central Team can recommend actual/ near-actual costs.
	(b) Hiring of boats and other essential equipments for carrying immediate relief and saving lives.	As per the actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and other essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
3	**Relief Measures**	
	(a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, Gen-set etc. for	As per actual cost incurred, and assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), for a period upto 30 days. The

	people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days. Depending on the ground situation, the SEC can extend the time period beyond the prescribed limit. Provided that expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year. Medical care to be provided from National Health Mission (NHM).
	(b) Air dropping of essential supplies and rescue by Air Force	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(c) Provision of emergency supply of drinking water.	As per actual cost, based on the assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days, which may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the SEC can extend the time period beyond the prescribed limit. Provided that expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year.
4.	**Clearance Of Affected Areas**	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost, for a period upto 30 days from the date of start of the work, based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per the assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF.
	b) Draining off flood water in affected areas[i]	As per the actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	c) Disposal of dead bodies/ Carcasses[i]	As per the actual cost, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
5	**Agriculture**	
(i)	**Assistance to small & marginal farmers having landholding upto 2 ha**	

(A)	**Assistance for land and other loss**	
	a) De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	Rs 18,000/- per hectare for each item. Above is subject to a minimum assistance of not less than Rs. 2,200/- per farmer. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs 47,000/- per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records. Above is subject to a minimum assistance of not less than Rs. 5,000/- per farmer
(B)	**Input subsidy (where crop loss is 33% and above)**	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	Rs. 8,500/- per ha. in rainfed areas. Above is subject to a minimum assistance of not less than Rs.1,000/- per farmer and restricted to sown areas. Rs. 17,000/- per ha. in assured irrigated areas. Above is subject to a minimum assistance of not less than Rs.2,000/- per farmer and restricted to sown areas.
	b) Perennial crops/Agro forestry (Plantation in own farmland)	Rs. 22,500/- ha. for all types of perennial crops/ Agro forestry (Plantation in own farmland), subject to a minimum assistance of not less than Rs. 2,500/- per farmer and restricted to sown areas.
	c) Sericulture	Rs. 6,000/- per ha. for Eri, Mulberry, Tussar Rs. 7,500/- per ha. for Muga. Above is subject to a minimum assistance of not less than Rs.1000/- per farmer and restricted to sown areas.
(ii)	**Input subsidy to farmers having more than 2 Ha of landholding**	Rs. 8,500/- per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs. 17,000/- per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas. Rs. 22,500/- per hectare for all types of perennial crops/ trees including agro forestry (Plantation in own farmland) and restricted to sown areas.

		Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
	Note: Assistance for input subsidy under item No. 5(i)(B) and 5(ii) will be adjusted to the extent of insurance claim received under the Prime Minister Fasal Bima Yojna (PMFBY), for the instant calamity.	
6.	**Animal Husbandry - Assistance To Small And Marginal Farmers And Landless Livestock Owners**	
	i) Assistance for the loss of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	Milch Animals- Rs. 37,500/- Buffalo/ cow/camel/ yak/ Mithun etc. Rs. 4,000/- Sheep/ Goat/ Pig Draught animals - Rs. 32,000/- Camel/ horse/ bullock etc. Rs. 20,000/- Calf/Donkey/ Pony/ Mule/ Heifers The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals due to notified natural calamity and will be subject to a ceiling of 3 large milch animals and /or 30 small milch animals or 3 large draught animals and/or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (Claim for loss of animals will be considered only if number and type of animals owned by Small and Marginal Farmers/Landless Livestock Owners are registered with local/designated authorities.) Poultry:- Poultry @ 100/- per bird subject to a ceiling of an assistance of Rs 10,000/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. **Note: -** Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	ii) Provision of fodder / feed concentrate including water supply and medicines in cattle camps.	Large animal - Rs. 80/- per day. Small animal - Rs. 45/- per day.

	Explanation: It will also include existing Gaushalas, if authorized by the State Government by Notification or Government Order, to act as a cattle camp subject to the following conditions:- (i) During the period of calamity, District Administration will assess the requirement of cattle shelter and number of gaushala required to be notified as cattle shelter in the District/Tehsil. After obtaining the base-line information on the cattle already sheltered and the number of more cattle it can accommodate, Gaushala may be notified as cattle shelter. (ii) The notified gaushala shall maintain a separate account of the additional cattle belonging to SMF and landless labourers for the notified drought period. The consolidated list of SMF and landless beneficiaries with number and types of animals will be displayed on the notice board of Gram Panchayat, Block, Tehsil and in the office of Sub-Divisional Magistrate and District Magistrate as well as State/ District web-site for the purpose of verification and social audit. (iii) SDRF funds will only be released to such notified gaushala on reimbursement basis and will be limited to list of individual beneficiaries notified as in Sl.No. (ii) above.	Period for providing relief will be as per the assessment of the SEC and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be for the period of calamity upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the SEC can extend the time period beyond the prescribed limit. Provided that expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camp	As per actual cost of transport during notified calamity, based on assessment of need by SEC and the recommendation of the Central Team (in case of NDRF), consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
7	**Fishery**	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of non-mechanized boats and damaged/ lost nets. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/	Rs. 6,000/- for repair of partially damaged boats only Rs. 3,000/- for repair of partially damaged net Rs.15,000/- for replacement of fully damaged boats

	assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	Rs. 4,000/- for replacement of fully damaged net (Assistance under this item will be adjusted to the extent of insurance claim, if any, received by the fisherman, under any insurance scheme, for the instant calamity).
	ii) Input subsidy for fish seed farm to Small and Marginal Farmers	Rs. 10,000/- per hectare. This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying.
8	**Handicrafts/Handloom – Assistance To Artisans**	
	i) For replacement of damaged main functional tools/ equipments	Rs. 5,000/- per artisan for equipments. Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	Rs. 5,000/- per artisan for raw material. Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
9	**Locust Control**	
	Hiring of vehicles, tractors, with spray equipments for spraying of plant protection chemicals for pest control, hiring of water tankers and purchase of plant protection chemicals for locust control.	As per the actual cost, based on the assessment of need by the SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring vehicles, tractors with spray equipments for spraying of plant protection chemicals for locust control during locust attack. However, expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year.
B.	**Recovery & Reconstruction: (30% Of SDRMF i.e. equal to 37.50% of SDRF allocation for the year)**	
10	**Housing**	
	a) **Fully damaged/ destroyed houses and severely damaged houses**	

	i) Pucca house ii) Kutcha House	Rs. 1,20,000/- per house, in plain areas., Rs. 1,30,000/- per house, in hilly areas.
	b) **Partially Damaged Houses (Other than huts) where the damage is at least 15%** i) Pucca house ii) Kutcha House	 Rs. 65,00/- per house Rs. 4,000/- per house,
	c) **Damaged/ destroyed huts:**	Rs. 8,000/- per hut, (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.) Note: The damaged house/hut should be an authorized construction, duly certified by the Competent Authority of the State Government.
	e) Cattle shed attached with house	Rs. 3,000/- per shed,
11	**Infrastructure** [Repair/restoration(of immediate nature) of damaged infrastructure]	
	(1) Roads & bridges, which may include the following activities: i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments. ii) Repair of breached culverts. iii) Providing diversions to damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity. iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.	Assessment of requirements: Based on the assessment of need, as per States' notified schedule of rates for repairs, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR is not available, then assistance will be provided as per rate prescribed in this item. However, in any case, the assistance will be provided at the rate whichever is lower. Prescribed rate are as under:- ➢ Repairs of State Highways /Major District Roads(MDR) - in normal areas -- @ Rs. 1.0 lakh /km ; - in hilly areas -- @ Rs. 1.25 lakh /km ; ➢ Repairs of Rural/village Roads with culverts - in normal areas -- @ Rs. 60,000/- km ; - in hilly areas -- @ Rs. 75,000 / km ; ➢ Repairs of RCC Culvert/Bridge - in normal areas -- @ Rs 60,000 per culvert; - in hilly areas -- @ Rs 75,000/- per culvert.

	(2) Drinking Water Supply Schemes, which may include the following activities:- i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns. ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof). iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake-outtake structure, approach gantries/jetties.	·Damaged drinking water supply schemes will be eligible for assistance as per actual, subject to a ceiling of Rs 2.00 lakh per damaged scheme. -Cleaning of Community drinking water wells as per actual, subject to a ceiling of Rs 10,000/ per well
	(3) Minor Irrigation Schemes, which may include the following activities: i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/ masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones. ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments. iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system. iv) Repair of embankments of minor irrigation projects.	In case of repairs of minor Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates (SOR) for repairs notified by the concerned State. In case SOR is not available, assistance for irrigation scheme/ canal will be provided as per actuals, subject to the ceiling of Rs 2.00 lakh per damaged minor scheme. **Note:-** However, in any case, the assistance will be provided at the rate whichever is lower. Assistance for restoration of damaged embankment of minor irrigation projects will be at par with the case of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes.
	(4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas): Damaged Poles/conductors and transformers upto 11 kv.	Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given for the damaged conductors, poles and transformers upto the level of 11 KV and LT lines with bare conductor, as per details hereunder: ➢ The rate of assistance will be: - Rs.5000/pole; - Rs. 0.50 lakh per km for repairing of damaged LT lines; - Rs.1.00 lakh for replacement of one damaged distribution transformer.

		(Note:-The above assistance will not be applicable for those items which can be re-used).
	(5) Schools Repair of damaged schools building	As per actual, subject to a ceiling of Rs 2.00 lakh per school.
	(6) Primary/Community Health Centres Repair of Primary/Community Health Centres	As per actual, subject to a ceiling of Rs 2.00 lakh per unit.
	(7) Community Assets Owned by Panchayat Temporary repair of Mahila Mandal, Yuva Kendra, Panchayat Ghar, Community Hall, Anganwadi, etc.	As per actual subject to a ceiling of Rs 2.50 lakh per unit.
C.	**Preparedness & Capacity Building (10% Of SDRMF i.e equal to 12.50% of SDRF allocation for the year)**	
12.	Procurement of essential search, rescue and evacuation equipments including communication equipments, etc for response to disaster.	Expenditure from the preparedness and capacity building window will be governed by the Guidelines issued separately by the Ministry of Home Affairs for the Preparedness & Capacity Building window of SDRF/ NDRF.
13	Capacity Building	
D.	**State Specific Disasters**	
	State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/ NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of respective window of the SDRF.	Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the SEC. The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disasters, as listed above; or In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' shall not exceed the norms of SDRF. The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and has notified transparent norms and guidelines, with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters', with the approval of SEC.
E	**Items Not Covered under SDRF/NDRF**	
	a) Colleges and other educational institutions buildings b) Major/medium Irrigation Schemes c) Flood control and anti Erosion Protection work	

	d) Hydro Power Project/HT Distribution systems/Transformers and sub stations e) High Tension Lines (above 11 kv) f) State Govt Buildings viz. departmental/office building, departmental/residential quarters, religions structures, patwarkhana, Court premises, play ground, forest bungalow property and animal/bird sanctuary etc. g) Long term/permanent restoration work h) Procurement of equipments/ machineries under NDRF i) National Highways j) Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works form their own funds/resources, are excluded.

Note:-

(i) For assistance under NDRF for items at S. Nos. 2 (a), (b). 3 (a), (b), (c), 4 (a), (b), (c), 6 (ii), (iii), and 9, while actual expenditure is allowed, the State Government will provide the item-wise details of expenditure to the Inter-Ministerial Central Team (IMCT)/ Central Government.

(ii) Ex-Gratia payment of Rs 50,000/- per deceased person, to next of kin of the deceased person, including those involved in the relief operations or associated in the preparedness activities, subject to the cause of death being certified as COVID-19, as per the guidelines jointly issued by the Ministry of Health and Family Welfare and the Indian Council of Medical Research on 3rd September, 2021, will be given as per guidelines on minimum relief issued by the National Disaster Management Authority (NDMA) dated 11.09.2021.

This ex-gratia assistance will be applicable from the date of first COVID-19 case reported in the country and will continue till de-notification of COVID-19 as a disaster or till further orders, whichever is earlier, to next of kin of the deceased due to COVID-19.

(iii) There will be a Mid-Term review of the norms after 2 years, based on price level index.

(iv) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assistance is necessarily/ mandatorily disbursed through Direct Benefit Transfer in the bank account of the beneficiary.

(v) The scale of relief assistance against each item for all notified disasters including 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF/ NDRF. Any amount spent by the State for such disasters over and above the ceiling, would be borne out of the resources of the State Government and not from SDRF.

*****

2232772/2022/ -11

अनुलग्नक

राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से सहायता देने की मदों और मानदंडों की संशोधित सूची

[अवधि 2022-23 से 2025-26, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 अक्तूबर, **2022** की पत्र संख्या 33-03/2020-एनडीएम-**I (खंड-II)**]

क्रम सं.	**मद**	**सहायता के मानदंड**
क	**मोचन एवं राहत [राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष(एसडीआरएमएफ) का 40% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आबंटन के 50% के बराबर]**	
1	**आनुग्राहिक राहत**	
	क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिए **4.00 लाख रु** । इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत अभियानों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन है।
	ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आंख/आंखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रति व्यक्ति **74,000/-रु**., जब अपंगता 40% और 60% के बीच हो। प्रति व्यक्ति **2.50 लाख रु**.,जब अपंगता 60% से अधिक हो। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डॉक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है	प्रति व्यक्ति **16,000/-**रु., जब एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। प्रति व्यक्ति **5400/-रु**., जब एक सप्ताह से कम की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। **नोट**: 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस मद के तहत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।
	घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं/पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं/दो दिन से अधिक पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान।	**2,500/-रु**. प्रति परिवार, कपड़ों की हानि के लिए । **2,500/- रु**. प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के लिए
	ड.) ऐसे परिवार जिनकी आजीविका का साधन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, को आनुग्राहिक राहत	जिन परिवारों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, ऐसे प्रभावित परिवारों के दो वयस्क सदस्यों को मनरेगा की प्रतिदिन वास्तविक दर या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की औसत दर, जो भी कम हो, के अनुसार आनुग्राहिक राहत प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना का औसत दर की गणना के लिए संदर्भ लिया जा सकता

		है। राहत राशि डीबीटी/नकद के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए (केवल स्थिति की तात्कालिकता के मामले में) या राज्य सरकार द्वारा इस तरह की राहत वस्तु रूप में प्रदान की जा सकती है। राज्य सरकार प्रमाणित करेगी कि आनुग्राहिक राहत प्रदान किए जाने की अवधि के दौरान चिन्हित लाभार्थियों को राहत शिविरों में नहीं रखा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ऐसे लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए जिलेवार आधार और प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। आनुग्राहिक राहत उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति और केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार होगी। सहायता की डिफॉल्ट अवधि 30 दिन की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पहले 60 दिन और तदनंतर सूखा/कीट हमले के मामले में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एसडीआरएफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। साथ ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिन व्यक्तियों को आनुग्राहिक राहत प्रदान की जाती है, उनकी सूची राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार और प्रमाण को अधिसूचित करेगी।
2.	**खोज एवं बचाव अभियान**	
	(क) खोज और बचाव उपायों/प्रभावित/जिनके प्रभावित होने की संभावना है, उन लोगों को खतरे की संभावना वाले स्थानों से निकालने की लागत।	एस ई सी द्वारा आकलित और केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार। जब तक केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जाता है, ये कार्यकलाप पहले ही खत्म हो जाते हैं। अत: राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय टीम वास्तविक/लगभग वास्तविक लागतों की सिफारिश कर सकती है।
	(ख) तात्कालिक राहत कार्यों हेतु तथा जीवन बचाने के लिए नावों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों को किराए पर लेना।	एस ई सी द्वारा आकलित तथा केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा, किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए फंसे हुए लोगों के बचाव के लिए नौकाएं किराए पर लेने और अपेक्षित आवश्यक उपकरणों पर हुए वास्तविक खर्च तक सीमित होगी।

3	**राहत उपाय**	
	(क) प्रभावित/सुरक्षित निकाले गए और राहत कैंपों में आश्रय पाए लोगों के अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ों, चिकित्सा देखभाल, जेन-सेट आदि हेतु प्रावधान।	30 दिन की अवधि के लिए, एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार वास्तविक लागत के अनुरूप। एस ई सी द्वारा कैंपों की संख्या, उनकी अवधि और कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। सूखा, अथवा भूकंप अथवा बाढ़ आदि द्वारा हुई व्यापक तबाही जैसी आपदा के बने रहने की स्थिति में, यह अवधि 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती हैं। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान इस विंडो के तहत एस डी आर एफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। इलाज की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) द्वारा की जाए।
	(ख) आवश्यक वस्तुओं को हवाई जहाज से गिराना तथा वायु सेना द्वारा बचाव कार्य	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वस्तुओं को हवाई जहाज से जमीन पर गिराने संबंधी बिलों में दर्शाई गई वास्तविक राशि और बचाव अभियानों तक ही सीमित होगी।
	(ग) पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति का प्रावधान	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम द्वारा (एन डी आर एफ के मामले में) की गई अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए, जिसे सूखे के मामले में 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए इस विंडो के तहत आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
4.	**प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	क) सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबा हटाना	एस डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और एन डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय टीम के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख के 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ख) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	एस. डी. आर.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस.ई.सी. द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की

		तारीख से 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ग) शवों /मृतक शरीरों का निस्तारण	वास्तविक लागत के अनुसार, जो एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा पर आधारित है।
5	**कृषि**	
(i)	**ऐसे छोटे एवं सीमांत किसानों, जिनके पास 2 हैक्टेयर तक भूमि है, को सहायता**	
क.	**भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता**	
	क) कृषि भूमि से गाद निकालना (जहां पर रेत/गाद निक्षेप की मोटाई 3सेमी0 से अधिक है, जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)।	प्रत्येक मद के लिए **18000/- रु**. प्रति हैक्टेयर। उपरोक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम **2200/- रु**. की सहायता के अध्यधीन है। (इस शर्त के अध्यधीन कि लाभार्थी द्वारा अन्य किसी सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता / सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है/तथा वह उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है)
	ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाना।	
	ग) गाद निकालना/पुनरुद्धार/मछली फार्मों की मरम्मत।	
	घ) भू-स्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भू-भाग की हानि	केवल उन छोटे और सीमान्त किसानों को **47000/- रु**. प्रति हैक्टेयर, जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है। उपरोक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम **5000/- रु**. की सहायता के अध्यधीन है।
ख.	**इनपुट सब्सिडी (जहां पर फसलों का नुकसान 33% और उससे अधिक है)**	
	क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	**8500/-** रु. प्रति हैक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में । उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम **1,000/- रु**. के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है। **17,000/- रु**. प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में । उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम **2000/- रु**. के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
	ख) बारहमासी फसलें/एग्रो फोरेस्ट्री (अपने खेतों में वृक्षारोपण)	**22,500/-** रु. प्रति हैक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों / कृषि वानिकी (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) के लिए और यह सहायता प्रति किसान न्यूनतम **2,500/-** रुपये की सहायता के अध्यधीन तथा बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
	ग) रेशमकीट पालन /उत्पादन	**6000/-** रु. प्रति हैक्टेयर, ऐरी, मलबरी, टसर के लिए । **7500/- रु**. प्रति हैक्टेयर, मूगा के लिए ।

2232772/2022/ -11		उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम **1000/- रुपये** की राशि के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
(ii)	**ऐसे किसानों को इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि है**	**8,500/- रु.** प्रति हेक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और बुवाई वाले क्षेत्रों तक सीमित। **17,000 / - रु.** प्रति हेक्टेयर , सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों के लिए और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। **22,500/- रु**. प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/पेड़ों, जिसमें एग्रोफोरेस्ट्री (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) भी शामिल है, के लिए और यह सहायता बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। जहां फसल का नुकसान 33% और उससे अधिक है, वहां सहायता प्रदान की जा सकती है, जो प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन है।
	नोट: मद संख्या 5(i)(ख) और 5(ii) के तहत इनपुट सब्सिडी के लिए सहायता को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्राप्त बीमा दावे की सीमा तक तत्काल आपदा के लिए समायोजित किया जाएगा।	
6.	**पशुपालन - छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को सहायता**	
	i) दुधारू पशुओं, गैर दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं की भरपाई हेतु सहायता।	**दुधारू पशु-** **37500/-रु-**भैंस / गाय /ऊँट/याक / मिथुन आदि के लिए **4000/- रु.**- भेड़/बकरी/सूअर के लिए **गैर-दुधारू पशु -** **32,000/- रु**. - ऊँट / घोड़ा/बैल आदि के लिए **20,000/- रु**. -बछड़ा / गधा/टट्टू/खच्चर /हेफर आदि के लिए सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं के वास्तविक नुकसान तक हो सकती है और यह *3* बड़े दुधारू पशुओं और/या *30* छोटे दुधारू पशुओं या *3* बड़े गैर-दुधारू पशुओं और/या *6* छोटे गैर-दुधारू पशुओं की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी तथा इस बात पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी कि किसी परिवार की भारी मात्रा में पशुओं की क्षति हुई है अथवा नहीं। (जानवरों के नुकसान के दावे पर तभी विचार किया जाएगा जब छोटे और सीमांत किसानों / भूमिहीन पशुधन मालिकों के स्वामित्व वाले जानवरों की संख्या और प्रकार स्थानीय / नामित अधिकारियों के पास पंजीकृत हों।)

		मुर्गीपालन:- प्रति लाभार्थी परिवार को **10000/- रु**. की सहायता की सीमा के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतु प्रति पक्षी **100/- रु**.। कुक्कुटों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। **टिप्पणी:** यदि सहायता किसी अन्य सरकारी योजना अर्थात् एवियन इन्फ्लुएंजा अथवा किसी ऐसी अन्य बीमारी जिसके लिए पशु पालन विभाग के पास पोल्ट्री मालिकों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई अलग स्कीम हैं, के कारण पक्षियों का नुकसान हुआ है तो इन मानदण्डों के अंतर्गत राहत प्रदान किए जाने की पात्रता नहीं होगी।
	ii) पशु कैंपों में जलापूर्ति एवं दवाइयों सहित चारे/फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान **व्याख्या:** इसमें मौजूदा गौशालाएं, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पशु शिविर के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना या सरकारी आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है, भी शामिल होंगी:- (i) आपदा की अवधि के दौरान जिला प्रशासन पशु आश्रय की आवश्यकता और जिला/तहसील में पशु आश्रय के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए आवश्यक गौशालाओं की संख्या का आकलन करेगा। पहले से आश्रय में रखे गए मवेशियों के बारे में बेसलाइन की जानकारी प्राप्त करने के बाद और अधिक मवेशियों की संख्या को प्राप्त करने के बाद, गौशाला को पशु आश्रय के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। (ii) अधिसूचित गोशाला अधिसूचित सूखे की अवधि के लिए एसएमएफ और भूमिहीन मजदूरों से संबंधित अतिरिक्त मवेशियों का लेखा-जोखा रखेगी। एसएमएफ एवं भूमिहीन लाभग्राहियों की समेकित सूची, पशुओं की संख्या एवं प्रकार सहित, सत्यापन और सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील के नोटिस बोर्ड पर तथा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के साथ-साथ राज्य/जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। । (iii) एसडीआरएफ निधियां केवल ऐसी	बड़े पशु - **80 रु**. प्रतिदिन. छोटे पशु – **45 रु.** प्रतिदिन राहत प्रदान किए जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किए गए आकलन तथा केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) के आधार पर तय की जाएगी। सहायता के लिए डिफॉल्ट अवधि 30 दिन होगी जिसे प्रथम बार 60 दिन तथा गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस समय-सीमा को निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए इस विंडो (मोचन एवं राहत) के तहत किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । वास्तविक लागत, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित होगी और दवाइयों व वैक्सीन की आवश्यकता के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन होगी।

	अधिसूचित गौशाला को प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जाएंगी और यह ऊपर क्रम संख्या (ii) में अधिसूचित एकल लाभार्थियों की सूची तक सीमित होगी।	
	iii) पशु शिविरों से बाहर रह रहे पशुओं के लिए चारा पहुंचाना	अधिसूचित आपदा के दौरान परिवहन की वास्तविक लागत के अनुसार, पशुधन गणना के आधार पर पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर किया जाएगा।
7	**मत्स्यपालन**	
	i) मछुआरों को क्षतिग्रस्त/गुम हो गई गैर- यंत्रीकृत नावों, जालों की मरम्मत /उन्हें बदलने हेतु सहायता। (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)	**6000 रु.-** केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत के लिए **3000 रु.** -आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जालों की मरम्मत के लिए **15000 रु**. -पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नावों को बदलने के लिए **4000 रु**.- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जालों को बदलने के लिए (इस मद के तहत सहायता किसी भी बीमा योजना के तहत मछुआरे को तत्काल आपदा के लिए प्राप्त बीमा दावे, यदि कोई हो, की सीमा तक समायोजित की जाएगी)।
	ii) छोटे एवं सीमांत किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी	**10,000** रु. प्रति हैक्टेयर । मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जाने वाली एकबारगी सब्सिडी को छोड़कर, यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मौजूदा आपदा के लिए पात्र है या कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है, तो उसे यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
8	**हस्तशिल्प / हथकरघा शिल्पकारों की सहायता**	
	i) क्षतिग्रस्त मुख्य कार्यत्मक औजारों/उपकरणो को बदलने हेतु	उपकरणो के लिए प्रति शिल्पकार **5000 रु**. सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन ।
	ii) सामान तैयार होने के दौरान कच्चे माल/ तैयार माल की हानि के लिए	कच्चे माल के लिए प्रति शिल्पकार **5000 रु.** सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन ।

9	**टिड्डी नियंत्रण**	
	टिड्डी नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे उपकरणों के साथ वाहनों, ट्रैक्टरों को किराए पर लेना, पानी के टैंकरों को किराए पर लेना और टिड्डी नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनों की खरीद करना।	एसईसी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केंद्रीय टीम द्वारा अनुशंसित (एनडीआरएफ के मामले में) आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा टिड्डियों के हमले के दौरान टिड्डी नियंत्रण के लिए पौधों के संरक्षण हेतु रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे उपकरणों के साथ वाहनों, ट्रैक्टरों को किराए पर लेने पर होने वाले वास्तविक खर्च तक सीमित होगी। हालांकि, इस संदर्भ में व्यय, किसी भी स्थिति में, वर्ष के लिए इस विंडो (मोचन और राहत) के तहत एसडीआरएफ आवंटन के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
ख.	**रिकवरी और पुनर्निर्माण**: (एसडीआरएमएफ का 30% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आबंटन के 37.50% के बराबर)	
10	**आवासन**	
	क) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त / नष्ट हुए घर और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घर	
	i) पक्का घर ii) कच्चा घर	मैदानी इलाकों में **1,20,000/-** रु. प्रति घर पहाड़ी क्षेत्रों में **1,30,000/-** रु. प्रति घर
	ख) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (झोपड़ियों के सिवाय) जहां क्षति कम से कम 15% है	
	i) पक्का घर ii) कच्चा घर	**65,00/-** रु. प्रति घर **4000/-** रु. प्रति घर
	ग) **क्षतिग्रस्त/ नष्ट हो गई झोपड़ियां:**	**8000/- रु.** प्रति झोपड़ी, (झोपड़ी का अर्थ है अस्थाई तौर पर बनाई गई इकाई जो कच्चे मकान से कमजोर होती है, यह घास-फूस, मिट्टी प्लास्टिक की पन्नियों आदि से बनी होती है, राज्य/जिला प्राधिकरणों द्वारा इसे पारंपरिक तौर पर झोंपड़ी के रूप में माना जाता है)। नोट: क्षतिग्रस्त घर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए।
	ड.) घर से जुड़ा पशुओं का बाड़ा	3000/- रु. प्रति शेड

	अवसंरचना [क्षतिग्रस्त अवसंरचना की (तत्काल प्रकृति की) मरम्मत व पुनरुद्धार]	
	(1) सड़कें और पुल, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं: i) दरारों और गड्ढों को भरना, जलमार्ग बनाने के लिए पाइप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मत और पत्थर की पिचिंग। ii) टूटी पुलियों की मरम्मत। iii) तत्काल संपर्क बहाल करने के लिए पुलों के क्षतिग्रस्त/बह गए हिस्सों को डायवर्जन प्रदान करना। iv) पुलों/तटबंधों तक पहुंचने के अस्थायी मार्गों की मरम्मत, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तत्काल संपर्क बहाल करने के लिए कॉजवे की मरम्मत, यातायात बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों पर दानेदार सब-बेस।	आवश्यकताओं का आकलन: एसईसी द्वारा किए गए आकलन और केंद्रीय टीम की सिफारिश (एनडीआरएफ के मामले में) के आधार पर राज्यों द्वारा अधिसूचित दरों की सूची के अनुसार। सड़कों की मरम्मत के मामले में राज्य के अधिसूचित साधारण मरम्मत (ओआर) और आवधिक नवीनीकरण (पीआर) के आधार पर सहायता दी जाएगी। यदि ओआर एवं पीआर उपलब्ध नहीं है, तो इस मद में निर्धारित दर के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। <u>तथापि, किसी भी स्थिति में, जो भी कम हो, उस दर पर सहायता प्रदान की जाएगी।</u> निर्धारित दर इस प्रकार है:- राज्य राजमार्गों/प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) की मरम्मत - सामान्य क्षेत्रों में -- **1.0 लाख रु.** प्रति किमी की दर से; - पहाड़ी क्षेत्रों में -- **1.25 लाख रु.** प्रति किमी की दर से; ग्रामीण सड़कों /पुलिया वाली गांव की सड़कों की मरम्मत - सामान्य क्षेत्रों में -- **60,000/- रु.** प्रति किमी की दर से; - पहाड़ी क्षेत्रों में -- **75,000 /- रु.** प्रति किमी की दर से; आरसीसी पुलिया/पुल की मरम्मत - सामान्य क्षेत्रों में -- **60,000/- रु.** प्रति पुलिया की दर से; - पहाड़ी क्षेत्रों में -- **75,000/- रु.** प्रति पुलिया की दर से।
	(2) पेयजल आपूर्ति योजनाएं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं:- i) हैंडपंप/रिंग वेल/स्प्रिंग-टैप्ड चैंबर्स/सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत। ii) क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्टों का पुनर्निर्माण, जिसमें क्षतिग्रस्त पाइपों को नई पाइपों से बदलना, साफ पानी के जलाशय की सफाई (इसे लीक प्रूफ बनाना) शामिल है। iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीनों की मरम्मत, ओवरहेड जलाशयों और पानी के लीक हो रहे पंपों की मरम्मत, जिसमें क्षतिग्रस्त इंटेक-आउटटेक संरचना, एप्रोच गैन्ट्री / जेटी शामिल हैं।	- क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति योजनाएँ प्रति क्षतिग्रस्त योजना के लिए **2.00 लाख रुपये** की सीमा के अधीन वास्तविक व्यय के अनुसार सहायता के लिए पात्र होंगी। - **10,000/-** रुपये प्रति कुएं की सीमा के अधीन सामुदायिक पेयजल कुओं पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार सफाई।
	(3) लघु सिंचाई योजनाएँ, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं:	लघु सिंचाई कार्यों की मरम्मत के मामले में संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित मरम्मत के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार सहायता दी जाएगी।

हस्ताक्षर

	i) सीमेंट, रेत के बोरों और पत्थरों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं और टैंकों और छोटे जलाशयों के मिट्टी/ चिनाई कार्यों की तत्काल मरम्मत। ii) बांध की दीवारों/तटबंधों में पाइपिंग या रैट होल जैसे कमजोर क्षेत्रों की मरम्मत। iii) नहर और जल निकासी व्यवस्था से वनस्पति सामग्री/निर्माण सामग्री/मलबे को हटाना। iv) लघु सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मत।	यदि एसओआर उपलब्ध नहीं है, तो प्रति क्षतिग्रस्त लघु योजना के लिए **2.00 लाख रुपये** की सीमा के अध्यधीन सिंचाई योजना/नहर के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। **नोट:-** तथापि, किसी भी स्थिति में, जो भी कम हो, उस दर पर सहायता प्रदान की जाएगी। लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त तटबंधों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों के मामले के समान ही, इस शर्त के अध्यधीन होगी कि किसी भी चालू योजना के संबंध में कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
	(4) बिजली (केवल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली तक सीमित): 11 केवी तक के क्षतिग्रस्त पोल/कंडक्टर और ट्रांसफार्मर।	क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र की मरम्मत के संबंध में बेयर कंडक्टर के साथ 11 केवी और एलटी लाइन के स्तर तक के क्षतिग्रस्त कंडक्टरों, खंबों और ट्रांसफार्मरों के लिए सहायता निम्नानुसार दी जाएगी: सहायता की दर होगी: - **5000 रुपये** प्रति पोल; - क्षतिग्रस्त एलटी लाइनों की मरम्मत के लिए **0.50 लाख रु.** प्रति किमी; - एक क्षतिग्रस्त डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को बदलने के लिए **1.00 लाख रुपये**। (नोट:-उपरोक्त सहायता उन मदों के लिए लागू नहीं होगी जिनका पुन: उपयोग किया जा सकता है)।
	(5) विद्यालय 'क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्त '	प्रति विद्यालय **2.00 लाख रु.** की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार।
	(6) प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 'प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्त'	प्रति यूनिट **2.00 लाख रु.** की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार।.
	(7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक संपत्ति 'महिला मंडल, युवा केंद्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन, आंगनबाडी आदि की अस्थाई मरम्मत।'	**2.50 लाख रुपये** प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार।
ग.	**तैयारी और क्षमता-निर्माण** (एसडीआरएमएफ का 10% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आबंटन के 12.50% के बराबर)	

12.	आपदा से निपटने के लिए संचार उपकरणों आदि सहित आवश्यक खोज, बचाव और निकासी उपकरणों का प्रापण।	एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देशों द्वारा तैयारियों और क्षमता निर्माण विंडो से जुड़े व्यय का लेखा-जोखा रखा जाएगा।
13	क्षमता निर्माण	
घ	**राज्य विशिष्ट आपदाएं**	
	राज्य में स्थानीय संदर्भ में राज्य विशिष्ट आपदाएं, जो एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं, से संबंधित व्यय की पूर्ति एसडीआरएफ के संबन्धित विंडो की वार्षिक निधि आबंटन के 10% की सीमा के भीतर एसडीआरएफ से की जा सकती है।	एस ई सी द्वाराकिए गए आकलन के अनुसार , व्यय केवल एसडीआरएफ (और एनडीआरएफ से नहीं) से किया जाना है। विभिन्न मदों के लिए मानदंड वही होंगे जो ऊपर सूचीबद्ध किए गए अनुसार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं पर लागू होते हैं; या इन मामलों में, 'स्थानीय आपदा' हेतु प्रत्येक मद के लिए प्रदान की जाने वाली राहत सहायता, एसडीआरएफ के मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट तभी लागू होगी जब राज्य ने औपचारिक रूप से आपदाओं को शामिल करने के लिए सूचीबद्ध किया है और एसईसी के अनुमोदन से ऐसी स्थानीय आपदाओं हेतु आपदा राहत के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया के साथ पारदर्शी मानदंड और दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
ड.	**एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत शामिल नहीं की गई मदें**	
	क) कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भवन ख) प्रमुख/मध्यम सिंचाई योजनाएं ग) बाढ़ नियंत्रण और अपरदनरोधी संरक्षण कार्य घ) जल विद्युत परियोजना/एचटी वितरण प्रणाली/ट्रांसफॉर्मर और सब स्टेशन ड.) हाईटेंशन लाइन (11 केवी से ऊपर) च) राज्य सरकार के भवन अर्थात विभागीय/विभागीय कार्यालय भवन /आवासीय क्वार्टर, धार्मिक संरचनाएं, पटवारखाना, कोर्ट परिसर, खेल का मैदान, वन बंगला संपत्ति और पशु/पक्षी अभयारण्य आदि। छ) लंबी अवधि/स्थायी पुनरुद्धार कार्य ज) एनडीआरएफ के तहत उपकरणों/मशीनरी की खरीद झ) राष्ट्रीय राजमार्ग ञ) दूरसंचार और बिजली (बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्र, जो अपने स्वयं के राजस्व का अर्जन करते हैं, और अपने स्वयं के धन/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य भी करते हैं, इसमें शामिल नहीं हैं।	

टिप्पणी:-

(i) क्रम संख्या 2 (क), (ख) 3 (क), (ख), (ग), 4 (क), (ख), (ग), 6 (ii), (iii), और 9 पर मदों के लिए एनडीआरएफ के तहत सहायता के लिए जब वास्तविक व्यय की अनुमति है, तो राज्य सरकार अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी)/केंद्र सरकार को व्यय का मदवार विवरण प्रदान करेगी।

(ii) यदि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 3 सितंबर, 2021 को संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मृत्यु कोविड- 19 की वजह से हुई है तो राहत कार्यों में शामिल या तैयारियों संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों सहित, मृतक व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दिनांक 11.09.19 को जारी न्यूनतम राहत संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति मृतक व्यक्ति 50,000/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा,
यह अनुग्रह सहायता देश में रिपोर्ट किए गए पहले कोविड-19 मामले की तारीख से लागू होगी और एक आपदा के रूप में कोविड-19 को डिनोटिफाइ किए जाने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिजनों के लिए जारी रहेगी।
(iii) मूल्य स्तर सूचकांक के आधार पर 2 वर्षों के बाद मानदंडों की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी।

(iv) राज्य सरकारों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी एकल लाभार्थी-उन्मुखी सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आवश्यक रूप से/अनिवार्य रूप से वितरित की जाए।

(v) 'स्थानीय आपदा' सहित सभी अधिसूचित आपदाओं की प्रत्येक मद के लिए राहत सहायता का पैमाना एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऐसी आपदाओं के लिए राज्य द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक खर्च की जाने वाली कोई भी राशि राज्य सरकार के संसाधनों से वहन की जाएगी, न कि एसडीआरएफ से।

*****